रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05112020-222963
CG-DL-E-05112020-222963

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3523] **नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 5, 2020/कार्तिक 14, 1942**
No. 3523] **NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 5, 2020/KARTIKA 14, 1942**

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2020

का.आ. 4002(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (जिसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है), यह राय करते हुए कि भारतीय मानक ब्यूरो के परामर्श के पश्चात लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम स्टीरीन (विनाइल बेंजीन) (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 है

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की समाप्ति पर प्रवृत्त होगा।

(3) यह नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं पर लागू होगा, किंतु निर्यात के लिए मालों या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा।

2. मानकों की अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग - नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुएं, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में दिए गए संगत भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और उन पर भारतीय मानक ब्यूरो

(अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न होगा।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी - सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

4. उल्लंघन के लिए शास्ति - कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त आदेश के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

सारणी

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	माल या वस्तुएं
(1)	(2)	(3)
स्टीरीन (विनाइल बेंजीन)	आईएस 4105:2020	स्टीरीन (विनाइल बेंजीन) के लिए विनिर्देशन

[फा. सं. PC-II-46016/6/2020-टेक-सीपीसी]

काशी नाथ झा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 4th November, 2020

S.O. 4002(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, being of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest after consultation with the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following order, namely:-

1. Short title, commencement and application — (1) This order may be called the Styrene (Vinyl Benzene) (Quality Control) Order, 2020.

(2) It shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the Official Gazette.

(3) It shall apply to goods or articles specified in column (1) of the Table below, but shall not apply to such goods or articles meant for export.

2. Conformity to standards and compulsory use of Standard Mark - Goods or articles specified in column (1) of the Table below shall conform to the corresponding Indian Standard given in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.

3. Certification and enforcement authority -The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority in respect of the goods or articles specified in column (1) of the Table.

4. Penalty for contravention -Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under the provisions of the said Act.

TABLE

Goods or article	Indian Standard	Title for Indian Standard
(1)	**(2)**	**(3)**
Styrene (Vinyl Benzene)	IS 4105:2020	Specification for Styrene (Vinyl Benzene)

[F. No. PC-II- 46016/6/2020-Tech.CPC]

KASHI NATH JHA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.